खण्ड-3

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2020-2021 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

फरवरी, 2020

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2020-2021 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय–व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय–व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष **2020-2021** के आय–व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

	(₹ लाख में)
क– राजस्व लेखा	**265907.43**
ख– पूंजी लेखा	**830879.92**
कुल योग :	**1096787.35**

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
002	आवास विभाग	800.00	25000.00	31860.00	57660.00	
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	...	1000.00	...	1000.00	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	8825.00	40000.00	...	48825.00	
009	ऊर्जा विभाग	...	58500.00	...	58500.00	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	32500.00	500.00	...	33000.00	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	14500.00	1600.00	...	16100.00	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	1034.60	4646.99	...	5681.59	
021	खाद्य तथा रसद विभाग	...	14.00	...	14.00	
022	खेल विभाग	...	1881.80	...	1881.80	
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	...	5625.00	...	5625.00	
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	2500.00	2000.00	59500.00	64000.00	
026	गृह विभाग (पुलिस)	...	5000.00	...	5000.00	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	4000.00	...	...	4000.00	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	500.00	...	...	500.00	
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	64.41	273.76	...	338.17	
038	नागरिक उड्डयन विभाग	...	375.00	...	375.00	
040	नियोजन विभाग	...	100000.00	...	100000.00	
042	न्याय विभाग	5000.00	...	...	5000.00	
043	परिवहन विभाग	...	450.00	...	450.00	
044	पर्यटन विभाग	500.00	20000.00	...	20500.00	
048	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	...	2940.00	...	2940.00	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	1170.48	12266.32	...	13436.80	
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	50000.00	...	...	50000.00	
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	...	1700.00	...	1700.00	
056	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	...	35000.00	...	35000.00	
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	...	35200.00	...	35200.00	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	3300.00	153800.00	...	157100.00	
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	...	1500.00	...	1500.00	

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	टिप्पणी का निर्देश पृष्ठ
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	7
060	वन विभाग	122.72	...	...	122.72	
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	100000.00	...	...	100000.00	
068	विधान सभा सचिवालय	...	506.23	...	506.23	
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	15001.00	...	...	15001.00	
070	विज्ञान एवं प्रौघोगिकी विभाग	7732.00	1000.00	...	8732.00	
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	...	2000.00	...	2000.00	
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	360.00	6000.00	...	6360.00	
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	...	421.22	...	421.22	
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	3885.10	400.00	...	4285.10	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	87.45	609.60	...	697.05	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	7105.37	53575.00	...	60680.37	
084	सामान्य प्रशासन विभाग	4573.00	...	...	4573.00	
092	संस्कृति विभाग	...	1800.00	...	1800.00	
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	2346.30	163935.00	...	166281.30	
	कुलयोग	265907.43	739519.92	91360.00	1096787.35	

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
002	2217-शहरी विकास	1-उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण का	800.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	800.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2-लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल"	5000.00
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3-वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना	20000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	25000.00
	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज	4-आगरा में मेट्रो रेल परियोजना	14760.00
	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज	5-कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना	17100.00
		लेखा शीर्ष 6217 का योग	31860.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	57660.00
003	4851-ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	1-वाराणसी में सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4851 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	1000.00
007	2852-उद्योग	1-ई-टेण्डरिंग प्रणाली का ऑडिट	25.00
	2852-उद्योग	2-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन	5000.00
	2852-उद्योग	3-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन	2000.00
	2852-उद्योग	4-स्टेट डाटा सेन्टर	1800.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	8825.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद-गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाना	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना	20000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	40000.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	48825.00
009	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अनपरा 'अ' एवं अनपरा 'ब' तापीय विद्युत परियोजना	27000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनपरा 'द', हरदुआगंज एवं पारीछा में तापीय परियोजना	1500.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट	30000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	58500.00
		अनुदान संख्या 009 का योग	58500.00
011	2401-फसल कृषि कर्म	1-पराली प्रबन्धन योजना	30000.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	30000.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2-प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों का भुगतान	1000.00
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	1000.00
	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	3-उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन	1500.00
		लेखा शीर्ष 2435 का योग	1500.00
	4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4-उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन	500.00
		लेखा शीर्ष 4435 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 011 का योग	33000.00
013	2702-लघु सिंचाई	1-मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना	14500.00
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	14500.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2-नये पीज़ोमीटर की स्थापना	600.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर एवं भू-जल भवन की स्थापना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	1600.00
		अनुदान संख्या 013 का योग	16100.00
015	2403-पशु पालन	1-जनपद - मथुरा में कॉलेज ऑफ डेयरी साइन्स	1034.60
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	1034.60
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	4000.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	3-पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में महिला छात्रावास	646.99
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	4646.99

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 015 का योग	5681.59
021	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-जिला उपभोक्ता फोरमों में शौचालयों का निर्माण	14.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	14.00
		अनुदान संख्या 021 का योग	14.00
022	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रीन पार्क, कानपुर में छात्रावास का निर्माण	381.80
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद वाराणसी एवं मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना	1500.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1881.80
		अनुदान संख्या 022 का योग	1881.80
023	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण	4500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण	1125.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	5625.00
		अनुदान संख्या 023 का योग	5625.00
024	2852-उद्योग	1-चीनी मिल इकाईयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान	2500.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	2500.00
	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	2-मुरादाबाद में गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र	1000.00
		लेखा शीर्ष 4401 का योग	1000.00
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	3-उत्तर प्रदेश गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर के कार्यालय भवन का निर्माण	1000.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	1000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	4-उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों की ऑफ सीज़न मरम्मत एवं रख-रखाव	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	5-चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में आसवनी तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	6-चीनी मिल - मुण्डेरवा, बस्ती में को-जनरेशन प्लाण्ट तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना	2500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	7-सहकारी चीनी मिलों का क्षमता विस्तार एवं	2000.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		आधुनिकीकरण	
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	8-सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान	50000.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	59500.00
		अनुदान संख्या 024 का योग	64000.00
026	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1-उत्तर प्रदेश पुलिस फोरेन्सिक युनिवर्सिटी की स्थापना	2000.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	1000.00
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	3000.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-अग्निशमन केन्द्रों पर सोलर पावर प्लाण्ट का अधिष्ठापन	2000.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	5000.00
031	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-मेडिकल कालेज, एटा का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-मेडिकल कालेज, गाजीपुर का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-मेडिकल कालेज, देवरिया का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-मेडिकल कालेज, प्रतापगढ का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5-मेडिकल कालेज, फतेहपुर का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6-मेडिकल कालेज, मीरजापुर का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	7-मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर का संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8-मेडिकल कालेज, हरदोई का संचालन	500.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	4000.00
		अनुदान संख्या 031 का योग	4000.00
032	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-ई-हॉस्पिटल पायलट परियोजना	500.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 032 का योग	500.00
033	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-जनपद लखनऊ एवं प्रयागराज में "गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र" की स्थापना	25.68
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के ऑडिटोरियम में फर्नीचर	38.73

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		व्यवस्था	
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	64.41
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण	273.76
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	273.76
		अनुदान संख्या 033 का योग	338.17
038	5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में एयरपोर्ट की स्थापना के लिये गठित "नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड" के प्रशासकीय व्यय हेतु व्यवस्था	375.00
		लेखा शीर्ष 5053 का योग	375.00
		अनुदान संख्या 038 का योग	375.00
040	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-त्वरित आर्थिक विकास योजना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-त्वरित आर्थिक विकास योजना	9000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	9000.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-त्वरित आर्थिक विकास योजना	4000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	4000.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	14000.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	14000.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-त्वरित आर्थिक विकास योजना	14000.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	14000.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	6-त्वरित आर्थिक विकास योजना	1500.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	1500.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	7-त्वरित आर्थिक विकास योजना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	2000.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-त्वरित आर्थिक विकास योजना	49500.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	49500.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	100000.00
042	2014-न्याय प्रशासन	1-पॉक्सो एक्ट के अधीन न्यायालयों में आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण एवं प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल के लिये न्यायालयों का गठन	5000.00
		लेखा शीर्ष 2014 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 042 का योग	5000.00
043	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-"सारथी हाल" सहित सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का भवन निर्माण	200.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	200.00
	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2-उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	250.00
		लेखा शीर्ष 5055 का योग	250.00
		अनुदान संख्या 043 का योग	450.00
044	3452-पर्यटन	1-मथुरा में उत्सवों का आयोजन	500.00
		लेखा शीर्ष 3452 का योग	500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	2-वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	10000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	3-विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय	10000.00
		लेखा शीर्ष 5452 का योग	20000.00
		अनुदान संख्या 044 का योग	20500.00
048	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1-"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर का निर्माण	2940.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	2940.00
		अनुदान संख्या 048 का योग	2940.00
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-एकीकृत आश्रय सदनों की स्थापना	985.75

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाईयों की स्थापना	124.73
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-वृन्दावन-मथुरा में "कृष्ण कुटीर आश्रय सदन" का संचालन	60.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	1170.48
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4-एकीकृत आश्रय सदनों का निर्माण	7266.32
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5-बाल विकास परियोजना कार्यालय सह-गोदामों का निर्माण	5000.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	12266.32
		अनुदान संख्या 049 का योग	13436.80
052	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना	50000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	50000.00
		अनुदान संख्या 052 का योग	50000.00
055	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	35.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-कार्यालय भवनों का निर्माण	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार	75.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान	20.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	300.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	150.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	110.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र की स्थापना	40.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1130.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	11-आवासीय भवनों का निर्माण	200.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	12-जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण	300.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	70.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	570.00
		अनुदान संख्या 055 का योग	1700.00
056	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	1-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें	20000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	2-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	15000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	35000.00
		अनुदान संख्या 056 का योग	35000.00
057	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	15000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-सेतुओं की मरम्मत	200.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	35200.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	35200.00
058	3054-सड़क तथा सेतु	1-भारतीय सड़क कांग्रेस को सहायता	1500.00
	3054-सड़क तथा सेतु	2-मूल्य ह्रास आरक्षित निधि को अन्तरण	1800.00
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	3300.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार /	500.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		उच्चीकरण	
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	8000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण	10000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	7000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण	8000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-परियोजना का गठन / पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16-प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेशद्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्यर मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण का कार्य	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	25000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20-राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	21-विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	22-शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	7000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	23-श्यामाप्रसाद मुखर्जी र्स्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	24-सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन	1000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	153800.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	157100.00
059	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1-दारुलशफा परिसर, लखनऊ में विधायक निवास	1500.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		हेतु बहुखण्डीय भवन का निर्माण	
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	1500.00
		अनुदान संख्या 059 का योग	1500.00
060	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	1-राजभवन, लखनऊ में "पंचतंत्र वन" की स्थापना	122.72
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	122.72
		अनुदान संख्या 060 का योग	122.72
061	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन	1-कन्सॉलिडेटेड सिंकिंग फण्ड को अन्तरण	100000.00
		लेखा शीर्ष 2048 का योग	100000.00
		अनुदान संख्या 061 का योग	100000.00
068	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-विधान भवन के मुख्य- गेट पर सुरक्षा के लिये एक्सेस कन्ट्रोल एवं विजिटर मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना	497.26
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय एवं प्रश्न अनुभाग में सी.सी.टी.वी. कैमरा की स्थापना	8.97
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	506.23
		अनुदान संख्या 068 का योग	506.23
069	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1-मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान	5001.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2-"मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना" का संचालन	10000.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	15001.00
		अनुदान संख्या 069 का योग	15001.00
070	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	1-ग्रामों में सोलर मिनी ग्रिड पावर प्लाण्ट की स्थापना	500.00
	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	2-पी.एम. कुसुम योजना पार्ट 'सी' से सम्बन्धित ग्रिड संयोजित निजी पम्पों का सोलराइजेशन	6732.00
	2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	3-प्रोजेक्ट मोड योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्र की स्थापना	500.00
		लेखा शीर्ष 2810 का योग	7732.00
	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	4-नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण	1000.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 5425 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	8732.00
072	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-सैनिक स्कूल की स्थापना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 072 का योग	2000.00
073	2202-सामान्य शिक्षा	1-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग	50.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविघालय, अलीगढ की स्थापना एवं संचालन	70.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3-राज्य विश्वविघालय, आजमगढ का संचालन	20.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4-राज्य विश्वविघालय, सहारनपुर का संचालन	20.00
	2202-सामान्य शिक्षा	5-लखनऊ विश्वविघालय, लखनऊ में "महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ" की स्थापना	200.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	360.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविघालय, अलीगढ की स्थापना एवं संचालन	2000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-राज्य विश्वविघालय, आजमगढ का निर्माण	2000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8-लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज	2000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	6000.00
		अनुदान संख्या 073 का योग	6360.00
075	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहराईच में महिला छात्रावास	421.22
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	421.22
		अनुदान संख्या 075 का योग	421.22
079	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविघालय, चित्रकूट को अनुदान	200.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-कृत्रिम अंग पुनर्वास केन्द्र का संचालन	400.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-पालनहार योजना का संचालन	2500.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4-समेकित विशेष माध्यमिक विघालयों का संचालन	785.10

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	3885.10
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5-मूक बधिर छात्र एवं छात्राओं के लिये "संकेत जूनियर हाईस्कूल" की स्थापना	400.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	400.00
		अनुदान संख्या 079 का योग	4285.10
081	2202-सामान्य शिक्षा	1-समग्र शिक्षा अभियान	9.60
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	9.60
	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2-अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजना	47.85
		लेखा शीर्ष 2225 का योग	47.85
	2702-लघु सिंचाई	3-मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना	30.00
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	30.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण	200.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	200.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बस्ती मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	200.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास	9.60
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	609.60
		अनुदान संख्या 081 का योग	697.05
083	2702-लघु सिंचाई	1-मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना	7105.36
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	7105.36
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना	0.01
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	0.01
	4225-अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	3-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	15000.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4225 का योग	15000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	4-पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें	16000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	16000.00
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5-पूर्वी गंगा नहर परियोजना	1200.00
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6-बदायूँ सिंचाई परियोजना	1500.00
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	2700.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	3750.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण	375.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	2500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-राज्य, प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	4250.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	2500.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	19875.00
		अनुदान संख्या 083 का योग	60680.37
084	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-जनगणना - 2021	4573.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	4573.00
		अनुदान संख्या 084 का योग	4573.00
092	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में निर्माण / रेनोवेशन	300.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या का सुदृढ़ीकरण	1000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर को उन्नत किया जाना	500.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1800.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	1800.00

वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
094	2700-मुख्य सिंचाई	1-मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें	1837.60
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	1837.60
	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	508.70
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	508.70
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें	62050.00
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	62050.00
	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	37135.00
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	37135.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5-लघु सिंचाई की परियोजायें	9250.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	9250.00
	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	55500.00
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	55500.00
		अनुदान संख्या 094 का योग	166281.30

व्यय की नई मांग

का विवरण

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण का गठन

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
07- उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण
42-अन्य व्यय 800.00

लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल"

लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
01- राज्य की राजधानी का विकास
800- अन्य व्यय
03- लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल"
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना

वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य शहरी विकास योजनायें
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
09- वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना
30-निवेश/ऋण 20000.00

कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना

कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय करों के भुगतान के लिये ऋण हेतु रूपये 48.60 करोड़, राज्य के करों के भुगतान के लिये ऋण हेतु रूपये 80.40 करोड़ तथा भूमि के लिये सब-आर्डिनेट ऋण हेतु रूपये 42.00 करोड़, अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 171.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 171.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6217-	शहरी विकास के लिये कर्ज	
01-	राज्य की राजधानी का विकास	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
06-	कानपुर मेट्रो रेल परियोजना	
0601-	केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण	
	30-निवेश/ऋण	4860.00
0602-	राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण	
	30-निवेश/ऋण	8040.00
0603-	भूमि हेतु सब-आर्डिनेट ऋण	
	30-निवेश/ऋण	4200.00
	योग -	17100.00

आगरा में मेट्रो रेल परियोजना

आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय करों के भुगतान के लिये ऋण हेतु रुपये 36.60 करोड़, राज्य के करों के भुगतान के लिये ऋण हेतु रुपये 60.00 करोड़ तथा भूमि के लिये सब-आर्डिनेट ऋण हेतु रुपये 51.00 करोड़, अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रुपये 147.60 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रुपये 147.60 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6217-	शहरी विकास के लिये कर्ज	
01-	राज्य की राजधानी का विकास	
190-	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
07-	आगरा मेट्रो रेल परियोजना	
0701-	केन्द्रीय करों के भुगतान हेतु ऋण	
	30-निवेश/ऋण	3660.00
0702-	राज्य के करों के भुगतान हेतु ऋण	
	30-निवेश/ऋण	6000.00
0703-	भूमि हेतु सब-आर्डिनेट ऋण	
	30-निवेश/ऋण	5100.00
	योग -	14760.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

वाराणसी में सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना

वाराणसी में सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के लिये राज्यांश हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	
102- लघु उद्योग	
04- वाराणसी में सीपेट का वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स, स्टार्ट-अप इकाईयों इत्यादि को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
17- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन
27-सब्सिडी 2000.00

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
20- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन
27-सब्सिडी 5000.00

ई-टेण्डरिंग प्रणाली का ऑडिट

ई-टेण्डरिंग प्रणाली का ऑडिट कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
30- ई-टेण्डरिंग प्रणाली का आडिट
42-अन्य व्यय 25.00

स्टेट डाटा सेन्टर

स्टेट डाटा सेन्टर के लिये नये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा लाइसेन्सेज़ के क्रय, उपकरणों के क्रय तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अपग्रेड किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 18.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 18.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
17- स्टेट डाटा सेन्टर
42-अन्य व्यय 1800.00

बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना

बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
10- बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना
60-भूमि क्रय 20000.00

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद-गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाना

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद-गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने के लिये भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
11- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ जनपद गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु
60-भूमि क्रय 20000.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

अनपरा 'अ' एवं अनपरा 'ब' तापीय विद्युत परियोजना

3 x 210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2 x 500 मेगावाट अनपरा 'ब' तापीय विद्युत परियोजना में एफ.जी.डी. की स्थापना एवं परामर्शी सेवाओं के लिये अंशपूंजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1426 - 3X210 मे0 वा0 अनपरा 'अ' एवं 2X500 मे0 वा0 अनपरा 'ब' तापीय परियोजना पर FGD की स्थापना एवं परामर्शी सेवा हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 20000.00

अनपरा 'अ' एवं अनपरा 'ब' तापीय विद्युत परियोजना

3 x 210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2 x 500 मेगावाट अनपरा 'ब' तापीय विद्युत परियोजना में ई.एस.पी. रैट्रोफिटिंग का कार्य एवं परामर्शी सेवाओं के लिये अंशपूंजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1427 - 3X210 मे0 वा0 अनपरा 'अ' एवं 2X500 मे0 वा0 अनपरा 'ब' तापीय परियोजना पर ESP Retrofitting का कार्य एवं परामर्शी सेवा की योजना हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 7000.00

अनपरा 'द', हरदुआगंज एवं पारीछा में तापीय परियोजना

2 x 250 मेगावाट अनपरा 'द', 2 x 250 मेगावाट हरदुआगंज, 2 x 210 मेगावाट पारीछा एवं 2 x 250 मेगावाट पारीछा तापीय परियोजना में नॉक्स उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने हेतु कम्बस्चन मॉडिफिकेशन पैकेज़ के कार्य एवं परामर्शी सेवाओं के लिये अंशपूंजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 1500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 1500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1428 - 2X500 मे0 वा0 अनपरा 'द' एवं 2X250 मे0 वा0 हरदुआगंज, 2X210 मे0 वा0 पारीछा एवं 2X250 मे0 वा0 पारीछा तापीय परियोजना में Nox उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित करने हेतु Combustion Modification Package के कार्य एवं परामर्शी सेवा हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 1500.00

उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट के लिये ए.डी.बी. से मिलने वाली सहायता के सापेक्ष अंशपूंजी दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05 - संचरण तथा वितरण
190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को उ.प्र. पावर सेक्टर इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु ए.डी.बी. से मिलने वाली सहायता हेतु अंशपूंजी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में
30-निवेश/ऋण 30000.00

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

पराली प्रबन्धन योजना

खरीफ फसलों के अवशेष प्रबन्धन एवं पराली को जलाये जाने से रोकने के लिये कृषकों एवं विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने तथा फसल की जड़ से कटाई के लिये कृषकों को यंत्र उपलब्ध कराये जाने के लिये 'पराली प्रबन्धन योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
113- कृषि इंजीनियरी
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0101- पराली प्रबन्धन योजना (के.60/रा. 40-के.+रा.)

27-सब्सिडी	29850.00
42-अन्य व्यय	150.00
योग -	30000.00

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों का भुगतान

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
80- सामान्य
120- अन्य संस्थाओं को सहायता
31- कृषि विश्वविद्यालयों के बकाया विद्युत देयों का भुगतान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम
01- विपणन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण
101- विपणन सुविधायें
06- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन

04-यात्रा व्यय	6.25
07-मानदेय	0.50
08-कार्यालय व्यय	25.00
09-विद्युत देय	0.38
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12.50
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	8.86
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12.50
18-प्रकाशन	1.25
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	25.00
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	250.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00
27-सब्सिडी	1000.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7.25
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	94.00
योग -	1500.00

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4435-	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण	
101-	विपणन सुविधाएं	
06-	उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	499.50
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0.50
	योग -	500.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम, बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिंग मशीन से गहरी बोरिंग तथा मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण के लिये गहरे / मध्यम गहरे नलकूप योजना को समेकित रूप से सम्मिलित करते हुये "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" (जिला योजना) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 145.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 145.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)
27-सब्सिडी 14500.00

स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर एवं भू-जल भवन की स्थापना

भू-जल संसाधनों के सघन एवं सतत् अनुश्रवण तथा भू-जल की गुणवत्ता के संवेदनशील क्षेत्रों के चिन्हांकन एवं प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रदेश में स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर एवं भू-जल भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
102- भू जल
18- स्टेट ग्राउण्ड वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेन्टर एवं भू-जल भवन की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

नये पीज़ोमीटर की स्थापना

प्रदेश के समस्त जनपदों में भू-जल स्तर के मापन के लिये पीज़ोमीटर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
102- भू जल
19- पीजोमीटर की स्थापना
42-अन्य व्यय 600.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

जनपद - मथुरा में कॉलेज ऑफ डेयरी साइन्स

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के अन्तर्गत कॉलेज ऑफ डेयरी साइन्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 1034.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 1034.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
800- अन्य व्यय
05- पं0 दीनदयाल पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा
0501- कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	716.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	318.60
योग -	1034.60

जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
101- पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य
18- जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य	4000.00

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में महिला छात्रावास

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा में अध्ययनरत् छात्राओं के लिये 100 बेड के महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 646.99 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 646.99 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
09- पं0 दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में महिला छात्रावास का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य	646.99

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

जिला उपभोक्ता फोरमों में शौचालयों का निर्माण

स्वच्छता एक्शन प्लान के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरमों में शौचालयों का निर्माण एवं सुदृढीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 14.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 14.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104- स्वच्छता एक्शन प्लान के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता फोरमों में शौचालयों का निर्माण (के. 100/रा.00-के.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 14.00

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

जनपद वाराणसी एवं मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना

प्रदेश में निशानेबाजी के प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार किये जाने के उद्देश्य से जनपद वाराणसी एवं मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
70-	जनपद वाराणसी व मेरठ में शूटिंग रेन्ज की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00

ग्रीन पार्क, कानपुर में छात्रावास का निर्माण

ग्रीन पार्क, कानपुर में छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 381.80 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 381.80 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	खेलकूद तथा युवा सेवा	
800-	अन्य व्यय	
71-	ग्रीन पार्क, कानपुर में छात्रावास का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	381.80

अनुदान संख्या 023

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में चीनी मिलों को ताज़ा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अंशदायी आधार पर अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 45.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 45.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
03- कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 4500.00

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 11.25 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 11.25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
04- चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1125.00

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

चीनी मिल इकाईयों द्वारा प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान

चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत निवेश करने वाली पंजीकृत विभिन्न कम्पनियों एवं चीनी मिल इकाईयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
08- उपभोक्ता उद्योग
201- चीनी
08- चीनी उद्योग को जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत छूट / रियायतें
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 2500.00

मुरादाबाद में गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र

मुरादाबाद में गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
108- वाणिज्यिक फसलें
03- गन्ना किसान संस्थान, मुरादाबाद
0301- प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर के कार्यालय भवन का निर्माण

उत्तर प्रदेश गन्ना शोध केन्द्र, गोरखपुर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
004- अनुसंधान
03- गन्ना शोध संस्थान, गोरखपुर की पुनर्स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ को कर्ज़ दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
03- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज
30-निवेश/ऋण 50000.00

उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों की ऑफ सीज़न मरम्मत एवं रख-रखाव

पेराई सत्र 2020-2021 को समय से प्रारम्भ किये जाने के लिये उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ की चीनी मिलों के ऑफ सीज़न मरम्मत, रख-रखाव एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज
30-निवेश/ऋण 2500.00

सहकारी चीनी मिलों का क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण

सहकारी चीनी मिलों का क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
21- सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / को जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण
30-निवेश/ऋण 2000.00

चीनी मिल - मुण्डेरवा, बस्ती में को-जनरेशन प्लाण्ट तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

चीनी मिल - मुण्डेरवा, बस्ती में 5000 टी.सी.डी. (7500 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) चीनी मिल मय को-जनरेशन प्लाण्ट तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

03- बंद चीनी मिल मुण्डेरवा (बस्ती) में नई चीनी मिल एवं कोजनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना

30-निवेश/ऋण 2500.00

चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में आसवनी तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

चीनी मिल - पिपराईच, गोरखपुर में 120 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवनी तथा सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

04- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना

30-निवेश/ऋण 2500.00

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

विधि विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढीकरण

विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	
207- राज्य पुलिस	
20- विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1000.00

उत्तर प्रदेश पुलिस फोरेन्सिक युनिवर्सिटी की स्थापना

जघन्य अपराधों की रोकथाम में त्वरित गति प्रदान करने हेतु पुलिस कर्मियों को रसायन आदि के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस फोरेन्सिक युनिवर्सिटी की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	
210- अनुसंधान , शिक्षा और प्रशिक्षण	
03- उत्तर प्रदेश पुलिस फोरेन्सिक युनिवर्सिटी	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

अग्निशमन केन्द्रों पर सोलर पावर प्लाण्ट का अधिष्ठापन

प्रदेश में स्थापित अग्निशमन केन्द्रों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ करने के उद्देश्य से सोलर पावर प्लाण्ट के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
24- अग्निशमन केन्द्रों पर सोलर पावर प्लाण्ट का अधिष्ठापन	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2000.00

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

मेडिकल कालेज, एटा का संचालन

मेडिकल कालेज, एटा के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0348-	मेडिकल कालेज, एटा	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, हरदोई का संचालन

मेडिकल कालेज, हरदोई के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0349-	मेडिकल कालेज, हरदोई	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, प्रतापगढ का संचालन

मेडिकल कालेज, प्रतापगढ के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0350-	मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, फतेहपुर का संचालन

मेडिकल कालेज, फतेहपुर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0351-	मेडिकल कालेज, फतेहपुर	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर का संचालन

मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0352-	मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, देवरिया का संचालन

मेडिकल कालेज, देवरिया के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0353-	मेडिकल कालेज, देवरिया	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, गाजीपुर का संचालन

मेडिकल कालेज, गाजीपुर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0354-	मेडिकल कालेज, गाजीपुर	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

मेडिकल कालेज, मीरजापुर का संचालन

मेडिकल कालेज, मीरजापुर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0355-	मेडिकल कालेज, मीरजापुर	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	योग -	500.00

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

ई-हॉस्पिटल पायलट परियोजना

जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में ई-हॉस्पिटल पायलट परियोजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
01-	शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी	
110-	अस्पताल तथा औषधालय	
08-	जनपद लखनऊ के चिकित्सालयों में ई-हास्पिटल पायलट परियोजना	
	42-अन्य व्यय	25.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	475.00
	योग -	500.00

अनुदान संख्या 033

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के ऑडिटोरियम में फर्नीचर व्यवस्था

राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के ऑडिटोरियम में फर्नीचर व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 38.73 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 38.73 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
103- यूनानी	
03- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	38.73

जनपद लखनऊ एवं प्रयागराज में "गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र" की स्थापना

राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा प्रयागराज में "गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.68 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.68 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
103- यूनानी	
04- राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज लखनऊ तथा प्रयागराज में गठिया उपचार एवं शोध केन्द्र	
01-वेतन	1.00
03-मंहगाई भत्ता	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	2.80
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50
39-औषधि तथा रसायन	8.00
42-अन्य व्यय	11.31
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.01
55-मकान किराया भत्ता	0.01
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.01
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.01
योग -	25.68

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ का सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 273.76

लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 273.76 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें

800- अन्य व्यय

03- राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उ.प्र. लखनऊ का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य 273.76

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में एयरपोर्ट की स्थापना के लिये गठित "नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड" के प्रशासकीय व्यय हेतु व्यवस्था

जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में एयरपोर्ट की स्थापना के लिये गठित कम्पनी "नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड" के प्रशासकीय व्यय के लिये स्थापित कारपस फण्ड में अंशपूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 375.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 375.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
02- विमान पत्तन
800- अन्य व्यय
03- जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में एयरपोर्ट की स्थापना हेतु गठित "नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड" के प्रशासनिक व्यय हेतु स्थापित कारपस फण्ड में अंशपूंजी विनियोजन
30-निवेश/ऋण 375.00

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, वनीकरण, अधिवक्ता चैम्बर निर्माण आदि कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 1000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
800- अन्य व्यय
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00
4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
202- माध्यमिक शिक्षा
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00
02- तकनीकी शिक्षा
104- बहुशिल्प
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें
800- अन्य व्यय
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें
800- अन्य व्यय
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01- जलपूर्ति

101- शहरी जल पूर्ति

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

102- ग्रामीण जल पूर्ति

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 8000.00

02- मल-जल तथा सफाई

101- शहरी सफाई सेवाएं

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

106- मल-जल सेवाएं

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

203- रोजगार

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 14000.00

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01- वानिकी

102- समाज तथा फार्म वानिकी

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- वनीकरण कार्यक्रम

24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 2000.00

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
05 - संचरण तथा वितरण		
800 - अन्य व्यय		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
06 - ग्रामीण विद्युतीकरण		
800 - अन्य व्यय		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		2000.00
80 - सामान्य		
800 - अन्य व्यय		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		2000.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
04 - जिला तथा अन्य सड़कें		
101 - पुल		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0302 - नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		4000.00
337 - सड़क निर्माण कार्य		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		40500.00
0302 - शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		5000.00
	योग -	45500.00
	कुल योग -	100000.00

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

पॉक्सो एक्ट के अधीन न्यायालयों में आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण एवं प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल के लिये न्यायालयों का गठन

पॉक्सो एक्ट के अधीन, न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक वादों तथा बलात्कार के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण एवं प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल के लिये न्यायालयों के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014 - न्याय प्रशासन

105 - सिविल और सेशन्स न्यायालय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - पाक्सो एक्ट के अधीन न्यायालयों में प्रचलित आपराधिक / बलात्कार के आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण एवं प्राइमरी रेप केसेज के ट्रायल हेतु न्यायालयों का गठन (के.60/रा.40-के.+रा.)

01-वेतन	3040.00
02-मजदूरी	22.00
03-मंहगाई भत्ता	586.78
04-यात्रा व्यय	13.33
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40.30
06-अन्य भत्ते	302.56
08-कार्यालय व्यय	68.99
09-विद्युत देय	91.74
10-जलकर / जल प्रभार	2.06
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6.11
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	105.50
13-टेलीफोन पर व्यय	16.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	260.00
38-अन्तरिम सहायता	135.52
42-अन्य व्यय	52.59
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.05
45-अवकाश यात्रा व्यय	59.93
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	62.99
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	33.33
49-चिकित्सा व्यय	30.58
51-वर्दी व्यय	6.11
55-मकान किराया भत्ता	13.33
56-नगर प्रतिकर भत्ता	7.20

योग - 5000.00

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

"सारथी हाल" सहित सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का भवन निर्माण

"सारथी हाल" सहित दो अन्य सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
20- सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में "सारथी हॉल " सहित भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम" हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
97- बाह्य सहायतित योजनाएं
9701- सडक सुरक्षा के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोग्राम"
24-वृहत् निर्माण कार्य 250.00

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

मथुरा में उत्सवों का आयोजन

मथुरा में उत्सवों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3452- पर्यटन
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
16- मथुरा में उत्सवों का आयोजन
42-अन्य व्यय 500.00

विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय

विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिये भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
45- विभिन्न पर्यटन स्थलों हेतु भूमि का क्रय
60-भूमि क्रय 10000.00

वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण

वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
46- वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

अनुदान संख्या 048

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर का निर्माण

"प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 29.40 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 29.40 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

800- अन्य व्यय

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0124- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर (के.60/रा.40-के.+रा.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 2940.00

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाईयों की स्थापना

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय बाल गृह (शिशु) के अधीन तेरह अतिरिक्त राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाईयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 124.73 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 124.73 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0112- विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के..60/रा.40 के.+रा.)
42-अन्य व्यय 124.73

एकीकृत आश्रय सदनों की स्थापना

जनपद लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या तथा अमेठी में एकीकृत आश्रय सदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 9.86 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 9.86 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0106- एकीकृत आश्रय सदनों की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 985.75

वृन्दावन-मथुरा में "कृष्ण कुटीर आश्रय सदन" का संचालन

वृन्दावन-मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 बेड क्षमता के "कृष्ण कुटीर आश्रय सदन" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 60.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 60.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
27- वृन्दावन - मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 बेड क्षमता के "कृष्ण कुटीर आश्रय सदन" का संचालन
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 60.00

बाल विकास परियोजना कार्यालय सह-गोदामों का निर्माण

बाल विकास परियोजना कार्यालयों द्वारा अनुपूरक पोषाहार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से परियोजना कार्यालय सह-गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय

वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
03- परियोजना कार्यालय के सहगोदामों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

एकीकृत आश्रय सदनों का निर्माण

जनपद लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या तथा अमेठी में एकीकृत आश्रय सदनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 7266.32 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 7266.32 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0106- एकीकृत आश्रय सदनों की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 7266.32

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110- अन्य बीमा योजनायें

06- "मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना"

42-अन्य व्यय 50000.00

अनुदान संख्या 055

लोक निर्माण विभाग (भवन)

कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
06- निर्माण - लोक निर्माण
0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार
24-वृहत् निर्माण कार्य 75.00

कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के नवसृजित जनपदों में कार्यालय भवनों का निर्माण एवं विभिन्न जनपदों में अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय / मुख्य अभियन्ता कार्यालयों का विस्तार कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
06- निर्माण - लोक निर्माण
0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण

लोक निर्माण विभाग, मुख्यालय के पास स्थित भू-खण्ड पर बेसमेन्ट एवं भू-तल पर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था सहित विभिन्न कार्यालय भवनों को एक ही भवन में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र की स्थापना

प्रदेश के जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021

में रूपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 40.00

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश में धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं विभिन्न जनपदों में निरीक्षण भवनों की स्थापना / सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 150.00

अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना एवं वर्तमान ट्रांजिट हॉस्टलों का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 110.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 110.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 110.00

आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 35.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 35.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 35.00

दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 20.00

जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल्ड आवासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
106- साधारण पूल आवास
03- निर्माण - लोक निर्माण
0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 70.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0538- राजभवन, लखनऊ

25-लघु निर्माण कार्य	भारित	70.00.

अनुदान संख्या 056

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0403 - ग्रामीण सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
05 - रेलवे उपरिगामी सेतु
0517 - रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
101 - पुल
36 - प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

सेतुओं की मरम्मत

पूर्व में निर्मित सेतुओ की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

39 - सेतुओं/आर 0 ओ 0 बी0 फ़लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिये परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि को अन्तरण

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि को अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 18.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 18.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3054 - सड़क तथा सेतु
80 - सामान्य
797 - आरक्षित निधि/जमा लेखाओं को /से अन्तरण
05 - मूल्य ह्रास आरक्षित निधि को अन्तरण
48-अन्तर्लेखा संक्रमण 1800.00

भारतीय सड़क कांग्रेस को सहायता

भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) का 81 वाँ अधिवेशन लखनऊ में प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3054 - सड़क तथा सेतु
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
05 - भारतीय सड़क कांग्रेस को सहायता
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1500.00

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
03 - राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य
0306 - राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एकमुश्त व्यवस्था
1328 - प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 25000.00

तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण

पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एकमुश्त व्यवस्था
1347 - प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अर्न्तगत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 8000.00

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
337 - सड़क निर्माण कार्य
85 - शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फलाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 7000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03 - राज्य राजमार्ग
800 - अन्य व्यय
03 - उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
0301 - राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1330 - प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था
60-भूमि क्रय 20000.00

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 70.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1332 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 7000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1334 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि वन विभाग को दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1335 - क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेशद्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण का कार्य

प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेशद्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / सौन्दर्यीकरण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1349 - प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों / सेतुओं तथा मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गों से जोडने हेतु मार्गों के निर्माण, चौडीकरण / सुदृढीकरण/ सौन्दर्यीकरण का कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्र्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण के कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था

श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्र्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण के कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
13 - एक मुश्त व्यवस्था
1350 - श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्र्बन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण / चौडीकरण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
18 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण / पुननिर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो / लघु सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गो / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
66 - कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो / लघु सेतुओं के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये

100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
86 - नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

प्रदेश के समस्त अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
99 - पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

केन्द्रीय सड़क निधि से मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

प्रदेश के मार्गों पर बढते हुये भारी यातायात के दृष्टिगत केन्द्रीय सड़क निधि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग / प्रमुख जिला / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 80.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04 - जिला तथा अन्य सड़कें
800 - अन्य व्यय
04 - केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य
0470 - मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 8000.00

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
05 - अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
97 - वाह्य सहायतित परियोजनायें
9702 - विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
05 - अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें
337 - सड़क निर्माण कार्य
97 - वाह्य सहायतित परियोजनायें
9704 - एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उ 0 प्र 0 जिला सड़क परियोजना के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 13 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 13 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
80 - सामान्य
004 - अनुसंधान
04 - अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 100.00

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

मूल्य ह्रास आरक्षित निधि नियमावाली-2005 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में मशीनरी तथा उपस्कर क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00

सूचना प्रौघोगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौघोगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- सूचना प्रौघोगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 1000.00

परियोजना का गठन / पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन

नई तकनीक का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकी की परियोजना का गठन / पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन इत्यादि के लिये व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

07- नई तकनीकी का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकी की परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन इत्यादि हेतु व्यवस्था

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 100.00

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

दारूलशफा परिसर, लखनऊ में विधायक निवास हेतु बहुखण्डीय भवन का निर्माण

दारूलशफा परिसर, लखनऊ में विधायक निवास हेतु श्रेणी-5 के 40 आवासों तथा एक 10 मंजिला द्वितीय बहुखण्डीय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0512- आवासीय भवनों के निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

राजभवन, लखनऊ में "पंचतंत्र वन" की स्थापना

राजभवन, लखनऊ में "पंचतंत्र वन" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 122.72 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 122.72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2406- वानिकी तथा वन्य जीव
01- वानिकी
101- वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण
06- राजभवन, लखनऊ में पंचतंत्र वन की स्थापना
42-अन्य व्यय 122.72

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

कन्सॉलिडेटेड सिंकिंग फण्ड को अन्तरण

राज्य सरकार के ऋण दायित्वों के परिहार के लिये 'कन्सॉलिडेटेड सिंकिंग फण्ड' जो भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर रक्षित होगा, में अन्तरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 1000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन

200- अन्य विनियोजन

03- कॉन्सालिडेटेड सिंकिंग फण्ड

42-अन्य व्यय भारित 100000.00.

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय एवं प्रश्न अनुभाग में सी.सी.टी.वी. कैमरा की स्थापना

विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय एवं प्रश्न अनुभाग में सी.सी.टी.वी. कैमरा की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 8.97 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 8.97 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
13-	विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य	
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	8.97

विधान भवन के मुख्य- गेट पर सुरक्षा के लिये एक्सेस कन्ट्रोल एवं विजिटर मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना

विधान भवन के मुख्य- गेट पर सुरक्षा के लिये एक्सेस कन्ट्रोल एवं विजिटर मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 497.26 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 497.26 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
13-	विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य	
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	497.26

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

"मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना" का संचालन

प्रदेश में स्थापित उद्योगों व एम.एस.एम.ई. इकाईयों में ऑन-जॉब ट्रेनिंग के अन्तर्गत अधिक से अधिक संखया में प्रदेश के युवाओं को शिशिक्षु के रूप में नियोजित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण
18- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना
42-अन्य व्यय 10000.00

मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान

मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 'युवा हब' स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.01 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.01 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
800- अन्य व्यय
03- मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान

42-अन्य व्यय 5001.00

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

ग्रामों में सोलर मिनी ग्रिड पावर प्लाण्ट की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से सोलर मिनी ग्रिड पावर प्लाण्टों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
02- सौर
101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम
03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत
0309- ग्रामों में सोलर मिनीग्रिड पावर प्लाण्ट की स्थापना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 500.00

पी.एम. कुसुम योजना पार्ट 'सी' से सम्बन्धित ग्रिड संयोजित निजी पम्पों का सोलराइजेशन

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पी.एम. कुसुम योजना पार्ट 'सी') के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित निजी पम्पों के सोलराइजेशन के लिये राज्यांश हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 67.32 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 67.32 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
60- अन्य
800- अन्य व्यय
06- पी0 एम 0 कुसुम योजना पार्ट "सी" से संबंधित ग्रिड संयोजित निजी पम्पों के सोलराइजेशन हेतु राज्यांश
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 6732.00

प्रोजेक्ट मोड योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्र की स्थापना

प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिये सोलर आर.ओ. वाटर संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत
60- अन्य
800- अन्य व्यय
11- प्रोजेक्ट मोड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सोलर आर 0 ओ 0 वाटर संयंत्र की स्थापना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 500.00

नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण

नक्षत्रशालाओं में स्थापित उपकरणों का आधुनिकीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है |

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

04- नक्षत्रशालाओं का आधुनिकीकरण

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

सैनिक स्कूल की स्थापना

छात्रों को शैक्षणिक, शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से रक्षा सेवाओं के लिये तैयार करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-2021 में एक नये सैनिक स्कूल की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	सामान्य शिक्षा	
202-	माध्यमिक शिक्षा	
27-	सैनिक स्कूलों की स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर का संचालन

राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
06- राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	20.00

राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ का संचालन

राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
16- राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	20.00

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना एवं संचालन

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 70.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा		
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा		
102- विश्वविद्यालयों को सहायता		
17- राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़		
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		20.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		50.00
	योग -	70.00

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में "महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ" की स्थापना

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को रोजगार प्रबन्धन के लिये प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से "महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को रोजगार प्रबन्धन के लिये प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य से "महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
102- विश्वविद्यालयों को सहायता
29- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
2912- महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ की स्थापना
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के व्ययों को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
03- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 50.00

राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ का निर्माण

राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
16- राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़
24-वृहत् निर्माण कार्य 1249.14
60-भूमि क्रय 750.86
योग - 2000.00

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना एवं संचालन

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	सामान्य शिक्षा	
203-	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
17-	राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज

लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
01-	सामान्य शिक्षा		
203-	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा		
20-	लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज		
	24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
	60-भूमि क्रय		1000.00
		योग -	2000.00

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहराईच में महिला छात्रावास

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहराईच में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 421.22 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 421.22 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

201- प्रारम्भिक शिक्षा -

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहराइच में महिला छात्रावास (के.60/रा.40-के.+रा.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 421.22

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 785.10 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 785.10 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
16- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयो का संचालन

01-वेतन	250.00
02-मजदूरी	6.00
03-मंहगाई भत्ता	75.00
04-यात्रा व्यय	1.05
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10
06-अन्य भत्ते	8.91
07-मानदेय	1.50
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	50.00
10-जलकर / जल प्रभार	1.35
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	22.50
13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.75
18-प्रकाशन	0.40
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	133.00
29-अनुरक्षण	35.00
39-औषधि तथा रसायन	1.02
42-अन्य व्यय	4.90
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	12.25
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.35
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.75
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.45
49-चिकित्सा व्यय	2.10

51-वर्दी व्यय		0.07
55-मकान किराया भत्ता		25.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता		7.80
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान		82.25
	योग -	785.10

पालनहार योजना का संचालन

ऐसे दिव्यांग दम्पति (माता-पिता दोनों) जिनकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक हो अथवा कुष्ठावस्था के कारण दिव्यांग दम्पति (माता-पिता दोनों) के 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पालन-पोषण के लिये अनुदान दिये जाने के लिये "पालनहार योजना" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
21- पालनहार योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2500.00

उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविघालय, चित्रकूट को अनुदान

उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविघालय, चित्रकूट को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
23- उत्तर प्रदेश जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविघालय, चित्रकूट	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

कृत्रिम अंग पुनर्वास केन्द्र का संचालन

डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर में स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
24- कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 400.00

मूक बधिर छात्र एवं छात्राओं के लिये "संकेत जूनियर हाईस्कूल" की स्थापना

बुन्देलखण्ड तथा पश्चिमांचल में 02 नवीन "संकेत जूनियर हाईस्कूल" तक के संकेत मूक-बधिर छात्र एवं छात्राओं के लिये विघालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
33- मूक-बधिर छात्र/छात्राओं हेतु "संकेत जूनियर हाईस्कूल" की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 400.00

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समग्र शिक्षा अभियान

विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा, अधिगम स्तर में वृद्धि, विद्यालय स्तर पर सामाजिक तथा लैंगिक भेद को समाप्त करने, प्रत्येक स्तर पर समता तथा समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित समग्र शिक्षा अभियान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 9.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 9.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
02- माध्यमिक शिक्षा
796- जनजातीय उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0101- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन (के.60/रा.40-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 9.60

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजना

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध, मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण व सेमिनार व अन्य कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 47.85 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 47.85 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0112- अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें (के.100/रा.0-के.)
42-अन्य व्यय 47.85

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम, बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिग मशीन से गहरी बोरिंग तथा मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण के लिये गहरे / मध्यम गहरे नलकूप योजना को समेकित रूप से सम्मिलित करते हुये "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" (जिला योजना) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 30.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
80- सामान्य
796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना
13- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)
27-सब्सिडी 30.00

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0101- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बस्ती मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बस्ती मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0102- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बस्ती मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0103- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत देवीपाटन मण्डल में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

समग्र शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 9.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 9.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

02- तकनीकी शिक्षा

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0104- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण अवस्थापना सुविधाओं का विकास (के.60/रा.40-के.+रा.)

24-वृहत् निर्माण कार्य 9.60

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना

प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम, बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिग मशीन से गहरी बोरिंग तथा मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण के लिये गहरे / मध्यम गहरे नलकूप योजना को समेकित रूप से सम्मिलित करते हुये "मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना" (जिला योजना) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 7105.36 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 7105.36 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
80- सामान्य
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
13- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)
27-सब्सिडी 7105.36

झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना

झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 0.01 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
15- झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (रा.80/ला.20-रा.)
27-सब्सिडी 0.01

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अन्तर्गत चयनित गाँवों में जनसुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4225- अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0110- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के नये कार्यों हेतु पूर्वांचल के लिये रूपये 100.00 करोड़ एवं बुन्देलखण्ड के लिये रूपये

60.00 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 160.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 160.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	पिछड़े क्षेत्र	
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03-	पूर्वांचल की विशेष योजनायें	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
04-	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
	योग -	16000.00

पूर्वी गंगा नहर परियोजना

पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
19-	पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1200.00

बदायूँ सिंचाई परियोजना

बदायूँ सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
23-	बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)	
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00

राज्य, प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

राज्य, प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 42.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 42.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 4250.00

राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण

राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण

चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 375.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 375.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
07- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 375.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण

चीनी मिल क्षेत्रों में चीनी मिलों को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
09- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
19- रेलवें उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 37.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 37.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 3750.00

नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड से वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

21- नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

जनगणना - 2021

प्रदेश में "भारत की जनगणना - 2021" के प्रथम चरण के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 45.73 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 45.73 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

03- जनगणना-2021

42-अन्य व्यय 4573.00

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में निर्माण / रेनोवेशन

उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में निर्माण एवं रेनोवेशन के विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
37- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ के भवन का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या का सुदृढ़ीकरण

तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
52- तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर को उन्नत किया जाना

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर में अवस्थापना सुविधाओं को उन्नत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
53- राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर की अवस्थापना सुविधाओं हेतु
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनुदान संख्या 094

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य- सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 1837.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 1837.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2700-	मुख्य सिंचाई	
17-	सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
101-	रख-रखाव और मरम्मत	
03-	अन्य रख - रखाव व्यय	
0304-	सिल्ट सफाई	
	29-अनुरक्षण	337.60
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
04-	जल उपभोक्ता समितियां	
0417-	जल शुल्क अनुदान (शारदा सहायक के 07 खण्डो, रामगंगा के 14 खण्डो एवं बेतवा संगठन का 01 खण्ड हेतु)	
	42-अन्य व्यय	1000.00
28-	कम्प्यूटरीकरण/नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट कनेक्टीविटी/वीडियो कान्फ्रेसिंग/डाटा सेन्टर/सर्वर/कमाण्ड सेन्टर/वेब साइटों, पोर्टलों, वेब एप्लीकेशन आदि का अनुरक्षण	
	29-अनुरक्षण	500.00
	योग -	1500.00
	कुल योग -	1837.60

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 508.70 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 508.70 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई		
71- पचवारा नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रखरखाव और मरम्मत		
03- अन्य रख रखाव व्यय		
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		20.00
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		15.00
	योग -	35.00
72- बरूआ सागर नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव और मरम्मत		
03- अन्य रख रखाव व्यय		
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		12.00
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		8.00
	योग -	20.00
73- स्यावरी नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव और मरम्मत		
03- अन्य रख रखाव व्यय		
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		12.00
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		6.00
	योग -	18.00
74- खारा नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख रखाव और मरम्मत		
03- अन्य रख रखाव व्यय		
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		21.60
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		19.10
	योग -	40.70
77- आवासीय एवं अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)		

101-	रख-रखाव और मरम्मत		
08-	राम मनोहर लोहिया ट्रांजिट हॉस्टल, तेलीबाग		
	29-अनुरक्षण		50.00
09-	राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन, तेलीबाग		
	29-अनुरक्षण		100.00
10-	न्यू परिकल्प बिहार कालोनी, तेलीबाग		
	29-अनुरक्षण		100.00
		योग -	250.00
80-	सामान्य		
800-	अन्य व्यय		
17-	विभागीय कार्यों के प्रचार-प्रसार		
1701-	कृषकों एवं क्षेत्रीय जनता के हितों के लिए प्रस्तावित कराये गये कार्यों का प्रचार-प्रसार		
	42-अन्य व्यय		100.00
83-	ऊपरी गंगा नहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित रेगुलेटर्स के गेटों के अनुरक्षण कार्य		
101-	रख-रखाव और मरम्मत		
03-	अन्य रख रखाव व्यय		
0303-	यांत्रिक कार्य		
	29-अनुरक्षण		35.00
84-	बैराजों / बांधों पर स्थापित कैमरों के लिए इन्टरनेट की व्यवस्था		
101-	रख-रखाव और मरम्मत		
03-	अन्य रख रखाव व्यय		
0303-	यांत्रिक कार्य		
	29-अनुरक्षण		10.00
		कुल योग -	508.70

मुख्य- सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य- सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 620.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 620.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4700-	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरे	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
05-	लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1006-	पुनर्स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
1008-	लाइनिंग	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
	योग -	4200.00
06-	पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
07-	आगरा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
17-	आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नींव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के1.50 किमी0 डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
	योग -	13000.00
08-	शारदा नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	

24-वृहत् निर्माण कार्य		1800.00
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1800.00
10- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- सम्बद्ध कार्य		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		100.00
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		20000.00
11- शाखायें		
1114- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
	योग -	21000.00
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरे		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		800.00
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1200.00
22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरे		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		250.00
23- बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)		

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

29- रतौली बियर बांध (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1015- रतौली वियर बांध के अवशेष कार्य की परियोजना

24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

32- बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

97- बाह्य सहायतित योजनायें

9703- डैम रिहैबिलीटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (ड्रिप) (70 विश्व बैंक : 30 राज्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

36- गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)

050- भूमि

10- नहरें

1016- भू-प्रतिकर

24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 1500.00

97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

कुल योग - 62050.00

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 371.35 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 371.35 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4701-	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
05-	घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1006-	पुनर्स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	360.00
06-	बेलन नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरे	
1006-	पुनर्स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
1008-	लाइनिंग	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	175.00
	योग -	975.00
21-	कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1008-	लाइनिंग	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
27-	भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
28-	नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1014-	सम्बद्ध कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
33-	देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	
10-	नहरें	
1006-	पुनर्स्थापना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
60-	पहुंज बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051-	निर्माण	

05- बांध

0514- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

93- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

05- बांध

0514- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 800.00

07- बैराज

0714- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 1800.00

16- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 400.00

योग - 3000.00

96- गुरसराय नहर (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 600.00

97- नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु मुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 30000.00

कुल योग - 37135.00

लघु सिंचाई की परियोजायें

लघु सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 92.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 92.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702-	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
101-	सतही जल	
03-	उठाऊ सिंचाई	
0329-	तिलापुर पम्प नहर निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	250.00
04-	प्रस्यावतन योजनायें	
0422-	जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत बन्धियों के निर्माण की परियोजना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
0423-	जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत विभिन्न बन्धियों की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
	योग -	1750.00
102-	भू जल	
03-	नलकूप योजनायें	
0314-	डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना (नाबार्ड पोषित)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
0322-	569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00
	योग -	7500.00
	कुल योग -	9250.00

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2021 में रूपये 555.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में रूपये 555.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओ पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	बाढ़ नियंत्रण	
103-	सिविल निर्माण कार्य	
01-	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102-	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.+रा.)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
0103-	त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए 0 आई 0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
07-	अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
08-	तट बंधों का निर्माण	
0840-	तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	17500.00
	60-भूमि क्रय	1000.00
	योग -	18500.00
09-	कटाव निरोधक योजनायें	
0984-	नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	17500.00
	60-भूमि क्रय	1000.00
	योग -	18500.00
23-	नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
25-	सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
	योग -	53700.00
03-	जल निकास	
052-	मशीनरी तथा उपस्कर	
03-	नवीन सम्पूर्ति	
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	200.00
04-	मरम्मत	
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	150.00
05-	गाड़ी भाड़ा	

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र		150.00
	योग -	500.00
103- सिविल निर्माण कार्य		
03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)		
0305- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
07- जल निकास योजना (नावार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		300.00
	योग -	1300.00
	कुल योग -	55500.00